



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 08/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : ०८ नवम्बर 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फर्रुखाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	1317104000003629	IFSC Code IBKL0001317	81.105

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	लक्ष्मी कोल्ड स्टोर के पास प्रतिभा सिंह के मकान से मेन रोड तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	5.676	50%
2	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में कितान सिंह यादव के मकान से प्रताप सिंह शाक्य के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.895	50%
3	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में इन्द्रेश केकी दुकान से सुरजीत के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.068	50%
4	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में उदयभान के घर से रामतीर्थ के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.886	50%
5	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में कामता प्रसाद के घर से प्रमोद कुमार पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.117	50%
6	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में प्रमोद कुमार पाल के घर से राम औतार के मकान एवं जगत सिंह के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.184	50%
7	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०पा० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में राम औतार सागर के घर से सर्वेश शाक्य के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.877	50%



447/L

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय जल्य विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
8	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में राजन के मकान से पिन्दू यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	0.872	50%
9	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० भूसामण्डी में कुटुरा मेन रोड से भकरामऊ पुलिया तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	7.998	50%
10	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० भूसामण्डी में साबिल के मकान से मुस्लिम के घर तक एवं शला के घर एवं सुल्तान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	3.786	50%
11	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० बनखडिया में के०पी० सिंह के घर से सुधीर के घर तक तथा सुधीर के घर से रामपाल के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	4.911	50%
12	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में सिद्ध गोपाल मिश्रा के मकान से युवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	6.344	50%
13	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में इन्द्रपाल सिंह तजोमर के मकान से सत्यवीर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	5.863	50%
14	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में केशव सिंह के मकान से सन्तोष कुमार श्रीवास्तव के मकान तक एवं ओमवीर वाली गली में सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.656	50%
15	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में कार्तिक चन्द्र मिश्रा के मकान से रामबक्श के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.500	50%
16	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में संजय याउदव के मकान से सन्तोष वकील के घर तक लिंग गली अशोक दीक्षित के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	4.380	50%
17	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में राम बक्श के मकान से धर्मसिंह के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.851	50%
18	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० सिविल लाईन तिर्वा कोठी में सतीश के मकान से विनोद सक्सेना के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	4.311	50%
19	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० भूसामण्डी में तिलकराम के घर से गुडडू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.948	50%

✓



447/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेप्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
20	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 मो० भोलेपुर नानक नगर में राजू राठौर से राम किशन तक एवं राजू घर से देवराज के घर होते हुए सुरेश चन्द्र के मकान होते हुये गिरन्द राजपूत के मकान तक सी०सी सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	3.626	50%
21	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 मो० भोलेपुर नानक नगर में सोनपाल के घर से ब्रजेश के घर तक सी०सी सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	3.817	50%
22	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 में भोलेपुर नानक नगर में मान सिंह के घर से कुलदीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.932	50%
23	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 में भोलेपुर नानक नगर में विश्वनाथ श्रीवास्तव के घर से पम्मीपाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.095	50%
24	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 में भोलेपुर नानक नगर में अम्बेडकर नगर कालोनी में होली चौक में एवं मृत्यु स्नानघर तक सी०सी सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.326	50%
25	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 में भोलेपुर नानक नगर में वेदान्त मेडिकल से अनिल कटियार के घर होते हुये संजय कटियार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	1.197	50%
26	फर्रुखाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 04 में भोलेपुर नानक नगर में अम्बेडकर नगर में संयज गिहार से राजू गिहार होते हुये महेश के घर से विनोद से मीरा गिहार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्मा का कार्य।	2.989	50%
	योग				81.105.	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधयता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सामिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(सामिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक